5.7.19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण सं. 8, 12, 13, 17 ता 19 को हाजिर तामील का अवलोकन किया गया। तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील प्रार्थीगण को एतद्दर्शीय सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन अं. आ. 9 नि. 9 ज. दी. के साथ प्रार्थना पत्र अं. धा. 5 आर्थि आधिनियम पेश किया। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण के अनुसार वादीगण के अधिकार अतिग्रस्त होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना-पत्र अं. आ. 9 नि. 9 ज. की प्रकृति में समुचित न्याय निर्णयन हेतु स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अं. आ. 9 नि. 9 ज. वी. स्वीकार किया जाता है। संबंधित डाक्या पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली कैलेन्डर के अनुसार होकर नम्बर से कम हो। संबंधित डाक्या के सलंग्न हो।

(रेहू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - NOT Official